

फर्द अहकाम
नियम 26

अदालत..... सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक भादरा..... मुकाम..... भादरा.....
दीपचन्द आदि बनाम रामकुमार आदि
किस्म मुकदमा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट नं० 197/2024 सन्. 2024

| हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज | नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ |
|---------|--|--|
| 2024 | <p>आज यह वाद जरिये वकील वादी के द्वारा पेश किया। रिपोर्ट सिंगेदार होने के बाद प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी वकील प्रतिवादीगण की तलबी रजिस्टर्ड एडी से जरिये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 25.11.2024 को पेश हो।</p> <p>पत्रावली पेश हुई वकील वादी के पत्रावली वाद तलबी हुए दिनांक 26.11.24 को पेश है।</p> | |
| 5/12/24 | <p>पत्रावली पेश हुई वकील वादी के उपस्थिति न. 1 ए 10 को तलब की रफ्त. साफ को रफ्त व डिलवरी रिपोर्ट पेश की किन्हे शामिल किमल किमल जज पत्रावली वाद तलबी जोर हुए दिनांक 23.12.24 को पेश है।</p> | |
| 12/24 | <p>पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी अ.अ.का.से.पे.का.प. दिनांक 13.1.25 को पेश है।</p> | |
| 10/24 | <p>पत्रावली साफ वकील वादी के को उपस्थिति ए 5 दिनांक 13.01.25 को पत्रावली डिलवरी की के कारण पेश हुई वकील वादीगण</p> | <p>एसी स्टैप पर रिज कि एक्ट को रिज ए भाग को रिज वादी के दीपचन्द अ.अ.का.से.पे.का.प.</p> |

एवं कर्मचारी के लिये उपरोक्त पत्र प्रकाशित
 निर्देशित किया कि पक्षी कागज के माध्यम से
 साक्षी नाम के पुत्रों को पत्राचार में आने से
 साक्षी नहीं पाएँ) पत्राचार के अर्थ में
 केवल लिखित मातृ नाम के माध्यम से
 आदेशित मातृ अर्थ में लिखित मातृ
 नाम पत्राचार में आने से आदेशित या
 निर्देशित (व्यक्ति) को पत्राचार में
 के मातृ को नाम आदेशित पत्राचार से

सहायक कलक्टर
 (फास्ट ट्रेक) भावरा